रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012025-260446
CG-DL-E-24012025-260446

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 437] नई दिल्ली, शुक्रवार जनवरी 24, 2025/माघ 4, 1946
No. 437] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 2025/MAGHA 4, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2025

का.आ. 441(अ).— केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा ताज ट्रापेजियम जोन प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात्:-

1.	आयुक्त, आगरा मंडल	अध्यक्ष;
2.	जिला मजिस्ट्रेट, आगरा, उत्तर प्रदेश	उपाध्यक्ष;
3.	जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा, उत्तर प्रदेश	सदस्य;
4.	जिला मजिस्ट्रेट, एटा, उत्तर प्रदेश	सदस्य;
5.	जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस, उत्तर प्रदेश	सदस्य;
6.	जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश	सदस्य;

7.	जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर, राजस्थान	सदस्य;
8.	सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार या उनके प्रतिनिधि, जो उप सचिव की श्रेणी से अनिम्न पंक्ति का न हो	सदस्य;
9.	सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि, जो उप सचिव की श्रेणी से अनिम्न पंक्ति का न हो	सदस्य;
10.	महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या उनके प्रतिनिधि, जो उप सचिव की श्रेणी से अनिम्न पंक्ति का न हो	सदस्य;
11.	नगरपालिका आयुक्त, आगरा	सदस्य;
12.	प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार या उनके प्रतिनिधि, जो उप सचिव की श्रेणी से अनिम्न पंक्ति का न हो	सदस्य;
13.	सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार या उनके प्रतिनिधि, जो उप सचिव की श्रेणी से अनिम्न पंक्ति का न हो	सदस्य;
14.	सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या उनके प्रतिनिधि	सदस्य;
15.	सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या उनके प्रतिनिधि	सदस्य;
16.	सदस्य सचिव, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या उनके प्रतिनिधि	सदस्य;
17.	पुलिस महानिरीक्षक, भरतपुर रेंज या उनके प्रतिनिधि	सदस्य;
18.	पुलिस महानिरीक्षक आगरा रेंज या उनके प्रतिनिधि	सदस्य;
19.	उप मुख्य वन्यजीव वार्डन, भरतपुर पक्षी अभयारण्य	सदस्य;
20.	खान और अधीक्षण अभियंता, खान और भूविज्ञान विभाग, भरतपुर, राजस्थान	सदस्य;
21.	केंद्रीय सरकार द्वारा तीन प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे	सदस्य;
22.	उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण	सदस्य-संयोजक.

2. ताज ट्रापेजियम जोन की भौगोलिक सीमा ताजमहल के पश्चिम में 26° 45' उ. और 77° 15' पू. से 27° 45' उ. और 77° 15' पू. और पूर्व में ताजमहल 27° 00' उ. और 78° 30' पू. से 27° 30' उ. और 78° 30' पू. के बीच, ट्रापेजियम के आकार में परिभाषित की गई है। जो उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा डिवीजन और राजस्थान राज्य के भरतपुर डिवीजन में स्थित है।

3. प्राधिकरण को क्रमश: उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में ताज ट्रापेजियम जोन में आगरा डिवीजन और भरतपुर डिवीजन की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर निम्नलिखित की शक्ति होगी -

(i) ताजमहल के संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करना और ताज ट्रापेजियम जोन में पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए कार्यक्रम;

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करना;

(iii) मोटर यानों द्वारा विनिर्दिष्ट उत्सर्जन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा ईंधन गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना;

(iv) ताज ट्रापेजियम जोन से संबंधित किसी पर्यावरणीय मुद्दे पर विचार करना, जो केन्द्रीय सरकार या उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जा सके ।

4. प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

5. प्राधिकरण को अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायत करने की शक्ति होगी ।

6. प्राधिकरण उसे समनुदेशित किए गए कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकेगा ।

7. प्राधिकरण अपनी गतिविधियों के बारे में कम से कम दो महीने में एक बार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

8. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण का मुख्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में होगा।

[फा. सं. जेड-20018/1/99-सीपीए]

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2025

S.O. 441(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes the Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention and Control) Authority (hereinafter referred to as the Authority), consisting of the following persons, namely:-

1.	Commissioner, Agra Division	Chairman ;
2.	District Magistrate, Agra, Uttar Pradesh	Vice-chairmen ;
3.	District Magistrate, Mathura, Uttar Pradesh	Member ;
4.	District Magistrate, Etah, Uttar Pradesh	Member ;
5.	District Magistrate, Hathras, Uttar Pradesh	Member ;
6.	District Magistrate, Firozabad, Uttar Pradesh	Member ;
7.	District Magistrate, Bharatpur, Rajasthan	Member ;
8.	Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India or his representative, not below the rank of Deputy Secretary	Member ;
9.	Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas or his representative, not below the rank of Deputy Secretary	Member ;
10.	Director General, Archaeological Survey of India or his representative, not below the rank of Deputy Secretary	Member ;
11.	Municipal Commissioner, Agra	Member ;

12.	Principal Secretary, Environment Department, Government of Uttar Pradesh or his representative, not below the rank of Deputy Secretary	Member ;
13.	Secretary, Environment Department Government of Rajasthan or his representative, not below the rank of Deputy Secretary	Member ;
14.	Member Secretary, Central Pollution Control Board or his representative	Member ;
15.	Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board or his representative	Member ;
16.	Member Secretary, Rajasthan Pollution Control Board or his representative	Member ;
17.	Inspector General of Police, Bharatpur Range or his representative	Member ;
18.	Inspector General of Police Agra Range or his representative	Member ;
19.	Deputy Chief Wildlife Warden, Bharatpur Bird Sanctuary	Member ;
20.	Superintending Mining Engineer, Department of Mines and Geology, Bharatpur, Rajasthan	Member ;
21.	Three representatives to be nominated by Central Government	Member ;
22.	Vice-Chairman, Agra Development Authority	Member–Convener.

2. The geographical limits of the Taj Trapezium Zone is defined in the shape of a trapezoid between 26˚ 45'N & 77˚ 15'E to 27˚ 45'N & 77˚ 15' E in the West of the Taj Mahal and in the East of Taj Mahal between 27˚ 00'N & 78˚ 30' E to 27˚ 30'N & 78˚ 30'E, lying in the Agra Division of the State of Uttar Pradesh and in the Bharatpur Division of the State of Rajasthan.

3. The Authority shall, within the territorial limits of Agra Division and Bharatpur Division in the Taj Trapezium Zone in the States of Uttar Pradesh and Rajasthan respectively, have the power to -

(i) monitor the progress of implementation of various schemes for protection of the Taj Mahal and programmes for protection and improvement of the environment in Taj Trapezium Zone;

(ii) exercise powers under section 5 of the said Act;

(iii) take all necessary steps to ensure compliance of specified emission standards by motor vehicles and ensuring compliance of fuel quality standards;

(iv) deal with any environmental issue which may be referred to it by the Central Government or the State Government of Uttar Pradesh and Rajasthan relating to the Taj Trapezium Zone.

4. The powers and functions of the Authority shall be subject to the overall supervision and control of the Central Government.

5. The Authority shall have power to make a complaint under section 19 of the Act.

6. The Authority may co-opt experts for facilitating the work assigned to it.

7. The Authority shall furnish a report about its activities at least once in two months to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change

8. The Authority shall have its headquarters at Agra in the State of Uttar Pradesh for the purpose of this notification.

[F. No. Z-20018/1/99-CPA]

VED PRAKASH MISHRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.01.24 16:18:21 +05'30'